कार्यालय–हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर

वाहन अनुबन्ध हेतु निविदा सूचना

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर के उपार्जन, विपणन एवं सुपरवीजन कार्यों हेतु अनुबन्ध के आधार पर पिकअप/बोलेरो (ए0सी0)/टाटा ऐस/समकक्ष वाहनों की आवश्यकता है। अतः इच्छुक निविदादाताओं से शील बन्द निविदा रजिस्टर्ड डाक/कोरियर/निविदा पेटिका के माध्यम से दिनांक 27.12.2024 को अपराह्न 1:00 बजे तक हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर के प्रधान कार्यालय में आमंत्रित की जाती हैं, जिन्हें उसी दिन दिनांक 27.12.2024 को सांय 1:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोला जायेगा। इच्छुक निविदादाता किसी भी कार्य दिवसों में निविदा का विवरण, नियम एवं शर्तों सहित निविदा फार्म संस्था के प्रशासन अनुभाग से मु0 **1000.00** नगद जमा कर दिनांक 27.12.2024 के अपराहन 12.30 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं, निविदा फार्म व शर्ते यू0सी0डी0एफ0लि0, की बैवसाईट **www.ucdfaanchal.org** से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिस हेतु पृथक से मु0 10**00.00** का बैंक ड्राफ्ट जो संस्था के पक्ष मे हो, निविदा फार्म के साथ संलग्न करना होगा। किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रधान प्रबन्धक के पास सुरक्षित रहेगा।

अध्यक्ष

प्रधान प्रबन्धक

Scanned with OKEN Scanner

आँचल

निविदा फार्म– सुपरवीजन वाहन बोलेरो (ए०सी०)
(तकनीकी बिड)–01

आँचल

फार्म संख्या

निविदा प्रपत्र मूल्य– 1000 रु०(एक हजार रु०) (समस्त कर सहित)

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार)

निविदा प्रपत्र

फोटो ग्राफ

1–वाहन स्वामी का नाम..

2–वाहन स्वामी का पूरा पता...

3–वाहन स्वामी का आधारकार्ड का नम्बर...
(स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)

4–वाहन स्वामी का पैनकार्ड का नम्बर...
(स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)

5–वाहन का रजिस्ट्रेश नम्बर..
(स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)

6–वाहन का बीमा पालिसी नम्बर..
(स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)

7–वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट..
(स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)

8–वाहन का टैक्सी परमिट..
(स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करें)

9–निर्धारित धरोहर धनराशि रू0 5000/– का विवरण अंकित करें।..................................
(मूल प्रति संलग्न करें)

नोट–नया वाहन उपलब्ध कराने की दशा में बिन्दु संख्याः 5, 6, 7, 8 में "वाहन क्रय के बाद उपलब्ध कराया जायेगा" टिप्पणी अंकित की जाय। निविदा प्रपत्र पर किसी भी तरह की कटिंग अथवा सफेदा/फ्लूड़ का उपयोग होने पर निविदा मान्य नहीं होगी।

संलग्नक–निविदा की समस्त शर्ते वाहन स्वामी के हस्ताक्षर सहित।

हस्ताक्षर वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता

वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता का नाम...

पूरा पता...

मोबाईलनम्बर...

ई–मेलआईडी...

Scanned with OKEN Scanner

निविदा फार्म– सुपरवीजन वाहन बोलेरो (ए0सी0)
(वित्तीय बिड)–02

आँचल

फार्म संख्या–

आँचल आँचल

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार)

(निविदा फार्म के समस्त क्रमांको की सूचनाओं को स्पष्ट व साफ–साफ अंकित करें।)

1–वाहन स्वामी का नाम..

2–वाहन स्वामी का पूरा पता..

3–वाहन स्वामी का आधारकार्ड का नम्बर...

4– पिता/पति का नाम ....

5– पत्र व्यवहार का पता ....

....

....

6– स्थाई पता (अनिवार्य)– : ....

....

....

7–मासिक किराया रू0 ....(शब्दों में)...चालक सहित।

(डीजल औसत, संस्था द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही देय होगे, जो संलग्न निविदा शर्तो मे अंकित है)

घोषणा

निविदा फार्म के साथ संलग्न आवश्यक निर्देश एवं शर्तो को मैने अच्छी तरह पढ एवं समझ लिया है। मैं निविदा मे उल्लेखित शर्तो के अधीन हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर मे अपना वाहन लगा कर कार्य करने के लिये सहमत हूँ ।

उक्त प्रतिष्टियॉ मैने स्वयं भरी है/भरवाई है और मेरी जानकारी मे पूर्ण रूप से सही है। यदि कोई भी सूचना/सूचनाये गलत पायी जाये, तो संस्था को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उक्त के सम्बन्ध मे हुये निविदा/अनुबन्ध को बिना नोटिस दिये निरस्त कर दें।

नोट– वाहन के प्रपत्रो के साथ किसी प्रकार की छेडछाड, गलत सूचना सिद्ध होने पर संस्था द्वारा निविदा को निरस्त कर अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए 03 वर्षो हेतु संस्था की किसी भी प्रकार की निविदा/कोटेशन मे प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।

दिनांक :–

हस्ताक्षर वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता

वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता का नाम..

पूरा पता..

....

मोबाईलनम्बर...

Scanned with OKEN Scanner

हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार)

सुपरवीजन वाहन बोलेरो (ए0सी0) निविदा हेतु अनुबन्ध की शर्ते एवं आवश्यक निर्देश

1. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में **सुपरवीजन वाहन (बोलेरो)** तथा निविदादाता का नाम व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये। निविदा की शर्ते एवं आवश्यक निर्देश के अन्त मे स्थायी पता अंकन करना एवं हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा फार्म मे निविदादाता को स्वप्रमाणित रंगीन पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ लगाना होगा तथा एक फोटोयुक्त पहचान पत्र (डी0एल0/आधार कार्ड आदि) निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को पैन कार्ड की छायाप्रति एक माह के अन्दर उपलब्ध करानी होगी अन्यथा नियमानुसार टैक्स की कटौती बिलों से कर ली जायेगी ।
3. यू0सी0डी0एफ0 की वैबसाईट www.ucdfaachal.org से निविदा डाउनलोड किये जाने पर, निविदा फार्म शुल्क के रूप मे रू0 1000.00 की जमा रसीद/ड्राफ्ट निविदा के साथ मूलरूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. एक धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) से एक ही निविदा भरी जायेगी। एक धरोहर राशि से एक से अधिक निविदाये भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदाये स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
5. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को संस्था के साथ अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की शर्ते किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है, अनुबन्ध करने हेतु मु0 100.00 रू0 का नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदा में तकनीकी बिड की शर्तो को पूर्ण करने के उपरान्त ही वित्तीय बिड का लिफाफा खोला जायेगा। यह कि निविदा टू–बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफें में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जायें तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे में ऊपर वित्तीय बिड लिखा जाये एवं दोनों लिफाफों को अलग–अलग बन्द कर एक बड़े लिफाफें में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी।
7. वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता अनुबन्धित किये गये वाहन को हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर के कार्यालय में या प्रधान प्रबन्धक, हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर के आदेशानुसार निर्धारित कार्यालय में रखेगा व सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति के बिना वाहन को कहीं भी नहीं ले जायेगा।
8. वाहन किसी दशा में आवेदन की अन्तिम तिथि को एक वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिये। वाहन की आयु की गणना हेतु पंजीकरण तिथि को आधार माना जायेगा एवं नये वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी।
9. जॉच के उपरान्त ही वाहन का चयन किया जायेगा।
10. वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता को रू0 5000/–(रू0 पांचह जार मात्र) की धरोहर धनराशि नगद/बैंक ड्राफ्ट जो प्रधान प्रबन्धक, हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर के पदनाम से निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा धरोहर राशि जमा न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् वाहन उपलब्ध नहीं कराने की दशा में उक्त धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
11. निविदा के साथ रजिस्ट्रेशन, टैक्सी परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि से सम्बन्धित प्रपत्रों की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करनी होगी तथा नयावाहन उपलब्ध कराने की दशा में अधिकतम 1 माह में उपरोक्त सभी अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे।
12. वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता की निविदा स्वीकृत होने पर वाहन का अनुबन्ध न्यूनतम 01 माह से अधिकतम 03 वर्ष तक होने की सम्भावना होगी।
13. वाहन का पंजीकरण उत्तराखण्ड में हो तथा टैक्सी परमिट उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश में मान्य होना चाहिए।
14. वाहन कच्ची, पक्की सडकों पर उपयोग किया जायेगा तथा रात्रि विश्राम किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

15. वाहन का औसत माइलेज 12 किमी. प्रतिलीटर होना चाहिये। संस्था द्वारा 12 कि0मी0 पर 01 (एक) लीटर डीजल की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
16. आपूर्ति की जाने वाली वाहन उचित गुणवत्ता (Excellent Condition) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीटकवर, तौलिया, पढ़ने की लिए बिजली, फुटमैट आदि उत्कृष्ट क्वालिटी की होना आवश्यक है।
17. वाहन के टायर, बैट्री, हैडलाईटबीम, ब्रैक, इन्डिकेटर, वाईपर, शीशा दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।
18. वाहन नियमानुसार संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीयन, परमिट शुल्क, फिटनेस शुल्क, मोटर वाहन कर, बीमा, चालक लाईसेन्स आदि पर व्यय सभी प्रकार के सम्बन्धित व्यय वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किये जाऐंगे।
19. वाहन पर तैनात किए जाने वाला चालक वैध व्यवसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए। वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से हृष्ट–पुष्ट (Medically Fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना अपरिहार्य है।
20. वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे चालक, जो नशे के सेवन का आदी हो, को वाहन पर सेवायेजित नहीं किया जाएगा। इसीप्रकार ऐसे चालक जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में सेवायोजित नहीं किया जाएगा।
21. वाहन के किसी ऐसे चालक, जो अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ है अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता को निर्देशित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता को तत्काल दूसरे चालक/स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।
22. संस्था, मार्ग में होने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा, बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन सम्बन्धित वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा।
23. वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता का यह दायित्व होगा कि चालक के पास पर्याप्त धनराशि (Imprest cash) उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन मरम्मत अथवा वाहन सम्बन्धित अन्य व्यय किया जा सके।
24. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने पर वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो संस्था वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।
25. वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता अथवा उसके चालक द्वारा सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क रखा जाएगा तथा डयूटी के समयबद्व संचालन हेतु उनके द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा।
26. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।
27. वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्नठेके (Sub-let) पर नहीं दिया जाएगा।
28. उपरोक्तानुसार ईंधन की आपूर्ति अर्धमासिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) लॉगबुक के आधार पर सम्बन्धित संस्था द्वारा की जाएगी। इस हेतु सम्बन्धित वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता को वाहन में नियमित रूप से लॉगबुक रखना आवश्यक होगा और उस पर दैनिक आधार पर वाहन संचालन की प्रविष्टि करते हुए उसे सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रमाणित करना होगा।
29. वाहन में नियमानुसार स्टपनी, टूलकिट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (Fire extinguisher) एवं डस्ट बैग भी वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।
30. भुगतान की रीति

(क) कार्य की पूर्ति पर सम्बन्धित वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता को भुगतान सम्बन्धित संस्था द्वारा अर्धमासिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) के आधार पर किया जाएगा।

(ख) आयकर नियमों के अनुसार सम्बन्धित संस्था द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी।

31. सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शास्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण निम्नलिखित अवसरों पर कार्य प्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुए दर पंजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा–

Scanned with OKEN Scanner

(क) यदि वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।
(ख) वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं।

32. कर एवं अन्य देयकों का भुगतान

(क) सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेशकर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा की जाएगी।

(ख) अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा की जाएगी।

33. वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता द्वारा कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथा–श्रम अधिनियम न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम पीएफ, ईएसआई, मोटरयान अधिनियम आदि में विहीत व्यवस्थाओं/नियमों/ औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा। (जहॉ लागू हों)

34. संस्था में नया वाहन प्राप्त होने/बजट की उपलब्धता न होने अथवा सेवाऐं सन्तोषजनक नहीं होने की दशा में वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता को किसी भी समय लिखित सूचना देकर वाहन का अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।

35. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात नये वाहन क्रय की दशा में अनुबन्ध की तिथि से अधिकतम एक माह में नया वाहन क्रय कर उपलब्ध कराना होगा तथा अनुबन्ध की तिथि एवं नया वाहन क्रय की अवधि तक निविदादाता को वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित करनी पड़ेगी।

36. वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता को निविदा में स्वीकृत मासिक किराये के अतिरिक्त स्वीकृत डीजल की खपत की कीमत ही अनुमन्य होगी।

37. निविदायें, प्रधान प्रबन्धक, हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर (हरिद्वार) के नाम से निविदा पेटी में दिनॉक 27–12–2024 को निविदायें अपराहन 01:00 बजे तक प्राप्त की जा सकेगीं जो कि उपरोक्तानुसार अपराहन 01:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख दुग्ध संघ मुख्यालय कार्यालय शिकारपुर (हरिद्वार) में खोली जायेगीं। डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा और न ही कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

38. वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता को निविदा स्वीकृत होने के उपरांत मु0 5,000.00 (पांच हजार) जमानत धनराशि संघ कोषागार में नकद या ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी, जिस पर संस्था द्वारा ब्याज देय नहीं होगा।

39. वाहन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख निविदादाता के नाम होने चाहिये।

40. प्राप्त निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रधान प्रबन्धक, हरिद्वार दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, शिकारपुर को होगा।

मैने उपरोक्त 1 से 40 तक कि शर्तें भली भॉति पढ़ ली हैं और मैं उपरोक्त सभी शर्तों को मानने के लिये सहमत हूँ।

दिनांक–

हस्ताक्षर वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता

वाहन स्वामी/आपूर्तिकर्ता का नाम.......................................

पूरा पता...

....

....

मोबाईल नम्बर...

Scanned with OKEN Scanner